संख्या -55/सीपी 8/84-2-2014-सीपी 5/2012

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 12 फरवरी, 2014

विषय सिविल मिस रिट याचिका संख्या- 35682/2012 गिरिजा सुवन पाण्डेय बनाम उ.प्र. शासन एवं अन्य।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3691/एससीडीआरसी/अधि 08/08, दिनांक 06 जनवरी, 2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-सी 24985/2011 (सीसी 13761/2011) उ0प्र0 राज्य बनाम आभाष कुमार में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम दिनांक 29.08.2011 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश को स्टे किया गया है तथा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 941-943/2012 (सीसी 7778-7780/2011) उ0प्र0 राज्य बनाम विजय सिंह व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.01.2012 द्वारा उक्त एस0एल0पी0 को अन्य एस0एल0पी0 संख्या 24985/2011 से टैग किया गया है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के दृष्टिगत मा0 उच्च न्यायालय के आदेश में संशोधन की संभावना बनी हुई है। सुलभ संदर्भ हेतु मा0 सर्वोच्च न्यायालय की बेबसाइट से प्राप्त उक्त आदेशों की प्रति संलग्न है। ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से रीडर पद का वेतनमान रूपया 4000-6000 (वेतनबैण्ड 5200-20,200, ग्रेड वेतन 2400) के स्थान पर 4500-7000 (वेतनबैण्ड 5200-20,200, ग्रेड वेतन 2800) अनुमन्य करने का वर्तमान में अवसर नहीं है। अतः कृपया शासन के पत्र संख्या 5/235/84-2-2013-सीपी 5/2012, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपलन में प्रश्नगत रिट याचिका में आयोग स्तर से पैरवी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in